अध्याय 10

पंचायतों में आंकड़ों के संकलन में सुधार, क्षमता विकास, प्रशिक्षण और ई-गवर्नेन्स : सामान्य अध्ययन

आंकड़ों के संकलन में सुधार

10.1 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन की दिशा में विभिन्न स्तर पर अनेक पहल की गई हैं, परंतु अब तक विभाग की यह पहल अपर्याप्त साबित हुई है।

10.2 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर के उपयोग से संकलित आंकड़े विकास की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं। यह भी एक तथ्य है कि आंकड़ों को अद्यतन करने का कार्य निरंतर नहीं किया जा रहा है।

क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण

10.3 विगत कुछ वर्षों में राज्य शासन ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है।

10.4 प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा अनेक छोटी-बड़ी संस्थाओं का गठन किया गया है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान राज्य की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था है। इस संस्थान का गठन वर्ष 2005 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है।

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (अंतः परिसर एवं बाह्य परिसर) एवं क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रो द्वारा वर्ष 2017-2018 में विभिन्न योजनाओं के तहत 2,27,999 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के 1,72,442, पंचायत अधिकारी 51824, अन्य 3734, जिला पंचायत के 5086, जनपद पंचायत के 25,175 तथा ग्राम पंचायत के 1,97,738 लोग शामिल हुए। (तालिका 10.1)

तालिका 10.1

प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (अप्रैल 2017-जनवरी 2018)

क्र.	प्रशिक्षण विषय	सत्र	कुल प्रतिभागी	महिला	पुरूष	पीआर आई	अधिकारी	अन्य	जिला पंचायत	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	जि.पं. + ज.पं. + ग्रा.पं.
1	आरजीपीएसए (इन केम्पस)	67	2916	1019	1897	1237	1594	85	587	1283	1046	**2916**
2	आरजीपीएसए (आरपीआरडीटीसी)	111	5576	1969	3607	1753	3316	507	279	1563	3734	**5576**
3	आरजीपीएसए (डीपीसी एण्ड बीपीआरसी)	2841	93829	45736	48093	64194	28294	1341	1645	12766	79418	**93829**
4	आरजीपीएसए जीपीडीपी (क्लस्टर)	2880	115232	75876	39356	103453	10952	827	817	6281	108134	**115232**
5	अदर (आरपीआरडीटीसी)	97	4012	1714	2408	769	2625	728	0	361	3761	**4122**
6	पीएमएवाय	42	2348	444	1904	176	2172	0	828	1062	458	**2348**
7	एनआईआरडी नेटवर्किंग	10	379	83	296	0	379	0	267	112	0	**379**
8	एसबीएम	30	1695	455	1240	784	707	204	130	528	1037	**1695**
9	एमजीएनआरईजीए + बीएफटी + टीए	42	1902	451	1451	76	1785	41	533	1219	150	**1902**
10	एसएजीवाय	2	110	17	93	21	89	0	59	27	24	**110**
योग		**6120**	**227999**	**127747**	**100252**	**172442**	**51824**	**3733**	**5086**	**25175**	**197738**	**227999**

स्रोत :- ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान

10.5 सभी स्तरों पर प्रशिक्षण संस्थान में दूरस्थ प्रशिक्षण हेतु सैटेलाइट सुविधा एवं रूबरू प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। संस्थान की गतिविधियों का एक प्रमुख अंग पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के कार्मिकों की कार्यक्षमता का उन्नयन है।

10.6 विगत तीन वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के 90.81 प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को इस संस्थान से प्रशिक्षित किया गया है।

10.7 राज्य शासन द्वारा राज्य में 21 जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र जिसे जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के नाम से जाना जाता है और 6 क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। इस प्रकार 21 जिला पंचायत संसाधन केन्द्र तथा 6 क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा प्रदेश के सभी 27 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

10.8 146 विकासखण्ड मुख्यालयों में भी विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसे जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र के नाम से जाना जाता है।

10.9 उपर्युक्त व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है एवं आमजन अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुए हैं। यह प्रशिक्षण संस्थानों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के प्रभावी होने का सकारात्मक संकेत है।

कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेन्स

10.10 पंचायतों के तीनों स्तर पर ई-पंचायत कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है, परन्तु राज्य की कुछ दूरस्थ ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर नहीं होने से उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं।

10.11 यह देखने में आया है कि ई-पंचायत कार्यक्रम में विगत पांच वर्षों से चार सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है- (1) प्रियासॉफ्ट, (2) प्लान प्लस, (3) नेशनल पंचायत पोर्टल (एनपीपी) और (4) लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (एलजीडी)।

10.12 तालिका 10.1 प्रदेश में विभिन्न सॉफ्टवेयर के उपयोग की स्थिति तथा पंचायती राज संस्थान के कामकाज को सुदृढ़ करने की दिशा में उसके प्रभाव को दर्शाती है।

क्र.	सॉफ्टवेयर		उपयोग
1	प्रियासॉफ्ट	-	83 प्रतिशत जिला पंचायतों, 75 प्रतिशत जनपद पंचायतों तथा 81 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 का अपना पंचायत खाता ऑनलाइन बंद कर दिया है।
2	प्लान प्लस	-	67 प्रतिशत जिला पंचायतों, 48 प्रतिशत जनपद पंचायतों तथा 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की अपनी अनुमोदित वार्षिक योजना ऑनलाइन अपलोड कर दिया है।
3	नेशनल पंचायत पोर्टल	-	100 प्रतिशत जिला पंचायत, 94 प्रतिशत जनपद पंचायत तथा 28 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित वेबसाईट में अपना यूआरएल पंजीकृत कर दिया गया है।
4	लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी	-	प्रदेश के शतप्रतिशत जनगणना ग्रामों का सम्बद्ध ग्राम पंचायतों से प्रतिचित्रण (मैपिंग) कर दिया गया है।

5	एक्शनसॉफ्ट	-	53 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के कार्यों का विवरण अपलोड कर दिया है।
6	नेशनल एस्सेट डायरेक्टरी	-	100 प्रतिशत जिला पंचायत, 76 प्रतिशत जनपद पंचायत तथा 57 प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के अपने कार्यों का विवरण दर्ज किया गया है।
7	एरिया प्रोफाइलर	-	केवल 4 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में अपने स्थानीय प्रशासनिक प्रोफाइल दर्ज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है।
8	सर्विस प्लस	-	33 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आरंभ किया है। किसी भी जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत ने इसका प्रयोग नहीं किया है।

राज्य वित्त आयोग के सुझाव

10.13 पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की कार्यक्षमता का उन्नयन, उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। कार्यक्षमता उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिए जाने से पूर्व, कार्यक्षमता निर्धारण का प्रभावी अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे योजना का सही क्रियान्यवन किया जा सके।

10.14 पंचायती राज संस्थाओं की प्रशिक्षण योजनाओं में क्षमता के अंतर को समझने के लिए, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र की सेवाएं लिया जाना चाहिए तथा इसी के अनुरूप प्रशिक्षण संचालित किया जाना चाहिए।

10.15 राज्य वित्त आयोग के परीक्षण में यह सामने आया कि ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से कार्यक्षमता उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इन संस्थानों के कार्मिक एवं वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता जिससे कार्यक्षमता उन्नयन के कार्यक्रम अधिक प्रभावी तथा प्रशिक्षु-मित्र हो सकें।

10.16 केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की मार्गदर्शिका में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों में दिनांक 01 अप्रैल 2020 के पूर्व नियमित संकाय सदस्यों की भर्ती की जानी चाहिए। निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा अनुबंध पर की गई संकाय सदस्य की नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में सभी पांच संकाय सदस्य अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। आयोग का अभिमत है कि कार्यक्षमता उन्नयन प्रशिक्षण को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नियमित संकाय सदस्यों की भर्ती की जानी चाहिए।

10.17 *आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिए ई-गवर्नेन्स के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई-लोकल गवर्नेन्स प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र योजना बनानी चाहिए।*

.....